[21/3/2025]

प्रश्न सं. [क्र. 2778]

परिशिष्ट "अ"
तारांकित प्रश्न कमांक–2778
द्वारा– माननीय विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय

विद्यालय के प्रारंभ एवं समाप्ति के समय थाना मोबाईल, शक्ति टास्क फोर्स, संबंधित थाने के पेट्रोलिंग मोबाईल, चीता पेट्रोलिंग, बीट अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार भ्रमण कर यातायात व्यवस्था बनाती है। वाहनों की गति को नियंत्रित करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनवाए गए हैं। कुछ स्थानों पर गति सीमा को काम करने हेतु स्टॉपर लगाकर जिग–जेक बनाए गए हैं। स्कूलों में जाकर समय–समय पर यातायात जागरूकता संबंधी अभियान चलाकर स्कूल संचालको को भी समझाएं दी जाती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार स्कूली बच्चों को वाहनों में उतारते एवं चढ़ाते समय परिचालक रखना अनिवार्य है। स्कूली बच्चों के साथ सड़क दुर्घटनाओं को काम करने के लिए समय–समय पर जिले के माननीय न्यायाधीश महोदय के निर्देशन में संयुक्त रूप से स्कूली वाहनों की चेकिंग कर कार्यवाही की जाती है।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1),
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट "ब"
तारांकित प्रश्न कमांक–2778
द्वारा– माननीय विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय

गर्ल्स महाविद्यालय में सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय के प्रारंभ/समाप्ति के समय थाना मोबाईल, शक्ति टास्क फोर्स, संबंधित थाने के पेट्रोलिंग मोबाईल, चीता पेट्रोलिंग, बीट अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लगातार भ्रमण किया जाता है। प्रदेश के कई जिलों में डायल 100 मोबाईल द्वारा भी निगरानी की जाती है।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, बी (1)
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

परिशिष्ट ''स''
तारांकित प्रश्न कमांक–2778
द्वारा– माननीय विधायक डॉ. अभिलाष पाण्डेय

प्रदेश के जिलों में जिला मुख्यालय स्तर पर जिला दंडाधिकारी द्वारा नगरी क्षेत्र में बाहरी वाहनों के प्रवेश हेतु निश्चित समय के लिये प्रवेश निषेध किये गये है, और उनका शहर के बाईपास/नाको पर यातायात बल लगाकर सतत पालन कराया जा रहा है ।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, पी (1)
मंत्रालय, भोपाल

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL